उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-479/ix/313/2009
देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 2004 में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनातें हैं:-

उत्तराखण्ड परिवहन विभाग लिपिक वर्ग (संशोधन) सेवा नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2009 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 के खण्ड (झ) का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड परिवहन विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 2004 के नियम-3 के खण्ड (झ) में वर्तमान स्तम्भ-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपबन्ध रख दिया जायेगा, अर्थात-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(झ) ' सेवा का सदस्य ' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग मे किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त और सेवारत व्यक्ति से है।	(झ) ' सेवा का सदस्य ' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग मे किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त एवं सेवारत अथवा मौलिक रूप से नियुक्ति के लिये अभिकल्पित व्यक्ति से है।

नियम 17 के उपनियम (1) का प्रतिस्थापन

3 मूल नियमावली में नीचें स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 17 उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम (1) रख दिया जायेगा, अर्थात-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियुक्ति 17. (1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, उस कम में जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 या 16	नियुक्ति 17. (1) उपनियम-2 के प्राविधानों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, उस कम में जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 या 16 (जैसी स्थिति हो) के अधीन तैयार की गयी सूची

(जैसी स्थिति हो) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्तियां करेगा।	में हो, नियुक्तियां करेगा, परन्तु, वह व्यक्ति जो, इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान पद नाम कनिष्ठ सहायक) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त था तथा जो धारित पद के लिये नियम 8 में निर्धारित अर्हता पूर्ण करता है, को सम्बन्धित पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ से सीधी भर्ती के कोटे में मौलिक रूप से नियुक्त माना जाएगा।

आज्ञा से,

(उमाकान्त पंवार)

सचिव।

संख्या-470/ix/313/17/2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एंव लेखन सामग्री रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में कराने का कष्ट करें तथा सम्बन्धित गजट की 50 मुद्रित प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।

संख्या-470/ix/313/17/2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2- निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4- गार्ड फाइल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।